



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2025/ 1646
प्रति,

दिनांक :- 09-7-2025

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।

विषय :- महाविद्यालय के निरीक्षण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों का सत्र 2025-26 में अतिशीघ्र निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालय निरीक्षण प्रपत्र (शपथ पत्र सहित) पूर्ण रूप से भरकर (मय अभिलेखों के फ्लेगिंग कर) निरीक्षण समिति को निरीक्षण की तिथि को उपलब्ध करायेंगे। जिससे निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण संबंधी कार्यवाही की जा सके।

(निरीक्षण प्रपत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है)

संलग्न :- (1) निरीक्षण प्रपत्र(पृष्ठ 01 से लगायत 09)
(2) शपथ पत्र का प्रारूप

नोट :- पूर्ण रूप से भरे हुए निरीक्षण प्रपत्र (निरीक्षण प्रपत्रानुसार मय वांछित अभिलेखों के) निरीक्षण समिति को, निरीक्षण की तिथि को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराने के पश्चात ही निरीक्षण किया जा सकेगा।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव(अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2025/ 1647
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 09-7-2025

01. प्रभारी वेबसाईट की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि, कृपया उपरोक्त पत्र मय संलग्नकों के विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
02. माननीय कुलगुरुजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

महाविद्यालय कोड



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
निरीक्षण प्रपत्र
(महाविद्यालय द्वारा भरा जावे)

- शा.महाविद्यालय
 स्वशासी शा.महाविद्यालय
 अशा.अनु.प्राप्त महाविद्यालय
 अशासकीय महाविद्यालय,

सत्र-
निरीक्षण तिथि.....

महाविद्यालय का नाम :-
.....जिला-

प्रस्ताव :-

- नवीन महाविद्यालय की स्थापना/सम्बद्धता
 नवीन विषय/अतिरिक्त विषय/उत्तरवर्ती कक्षा/पाठ्यक्रम की सम्बद्धता
 सम्बद्धता की औपचारिक सहमति
 पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की निरंतरता
 सीट संख्या वृद्धि/स्थायी सम्बद्धता/स्थायी सम्बद्धता की निरंतरता

प्रस्तावित पाठ्यक्रम :-

.....
.....
.....
.....

(क) सामान्य जानकारी :-

01. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की पत्र क्रं./.....
अनुमति/अनापत्ति
02. अन्य सक्षम संस्थाओं(Apex Body)की पत्र क्रं./.....
अनुमति/अनापत्ति (यदि आवश्यक हो)
03. सम्बद्धता शुल्क राशि रु.
एम.पी.ऑनलाईन/आर.टी.जी.एस./नेफ्ट रसीद क्रं.....
.....दिनांक

(ख) महाविद्यालय से संबंधित जानकारी :- (शासकीय/अशासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों हेतु)

01. महाविद्यालय का पूर्ण नाम :-
02. महाविद्यालय का पूर्ण पता :-
-

03. प्राचार्य का नाम :-
04. मोबाईल/दूरभाष क्रं./ईमेल
05. निरीक्षण समिति के समक्ष एवं उनके साथ महाविद्यालय के GEOTAG कलर फोटो (पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ/कक्षाएँ/खेल मैदान आदि सहित) संलग्न करें :-
06. महाविद्यालय का स्थापना वर्ष :-
07. भवन का स्वामित्व :-
- (अ) स्वयं का (प्रमाण संलग्न करें).....
- (ब) किराये का-कितने वर्ष से(प्रमाण संलग्न करें).....
08. महाविद्यालय भवन का क्षेत्रफल :-
- (अ) कुल क्षेत्र फल :-.....
- (ब) Buildup ऐरिया :-.....
09. भवन में कक्षों की संख्या एवं प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल
-
- (विवरण संलग्न करें - देखें परिशिष्ट -I)
10. प्राचार्य कक्ष/कार्यालय/स्टाफ कक्ष/महिला कामन रूम/सुविधा घर आदि की व्यवस्था
-
11. उपलब्ध भूमि एवं स्वामित्व :-
- (म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग अनुसार)
- (अ) नगरीय क्षेत्र (02 एकड़ भूमि).....
- (प्रमाण संलग्न करें)
- (ब) ग्राम पंचायत क्षेत्र(05 एकड़ भूमि).....
- (प्रमाण संलग्न करें)
12. केन्द्रीय नियामक संस्थाओं जैसे BCI/NCTE/AICTE एवं अन्य अनुसार भूमि/भवन संबंधी जानकारी :-
13. जिला पंजीयन कार्यालय द्वारा भवन संबंधी भारमुक्त प्रमाण-पत्र :-
14. राजस्व विभाग द्वारा जारी डायवर्शन संबंधी प्रमाण-पत्र :-.....

15. पूर्व/वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी :-
-
- (पूर्व सत्र के सम्बद्धता/निरंतरता प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
16. प्रयोगशालाओं की विस्तृत जानकारी :-
- (विवरण संलग्न करें - देखें परिशिष्ट -I)
17. प्रयोगशाला उपकरणों हेतु प्रावधानित राशि :-
- (विवरण संलग्न करें)
18. फर्नीचर की उपलब्धता :-
- (प्रमाणसंलग्न करें)
19. स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था :-
20. ग्रंथालय की उपलब्धता :-
21. ग्रंथालय में पुस्तकों की संख्या :-
- (अ) कुल संख्या
- (ब) आवेदित विषयों की पुस्तकों की संख्या
- (सूची संलग्न करें)
22. ग्रंथालय में नियमित आने वाली पत्र पत्रिकाओं/शोध पत्रिकाओं के नाम तथा संख्या :-
- (सूची संलग्न करें) समाचार पत्र
- पत्रिकाएँ
- शोध पत्रिकाएँ/जर्नल्स.....
23. पुस्तकों के क्रय हेतु प्रावधानित राशि :-
24. खेल मैदान एवं अन्य खेल सुविधाओं का विवरण :-
-
25. विद्यार्थियों हेतु छात्रावास सुविधा :-
- (प्रमाण संलग्न करें)
26. स्टॉफ हेतु आवास सुविधा :-
27. शासन से प्राप्त अनुदान(यदि हो तो) :-

28. आय के अन्य स्रोतों की जानकारी :-
29. छात्रों एवं स्टॉफ के आवागमन हेतु परिवहन की व्यवस्था :-
30. महाविद्यालय में लगाये गये सी.सी.टी.वी. केमरों का विवरण :-
-
31. महिलाओं की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था :-
32. छात्रों हेतु उपलब्ध चिकित्सा सुविधा :-
33. दिव्यांगों हेतु आवश्यक व्यवस्था :-
34. पीने के पानी की व्यवस्था :-
35. सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी :-
- (पूर्व के दो सत्रों की)
-
36. महाविद्यालय में आयोजित सेमिनार/वेबिनार की जानकारी :-.....
- (पूर्व के दो सत्रों की)
-
37. छात्रों के प्लेसमेंट की सुविधा :-
-
38. महाविद्यालय द्वारा निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण :-
-
-
39. मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिभावान छात्रों/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का विवरण:-
-
-
40. एन.सी.सी./एन.एस.एस. ईकाई की स्थापना :-
41. सुरक्षा हेतु अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता :-
42. महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की जानकारी :-

43. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से प्राप्त आय का विवरण :-

44. AISHE से संबंधित जानकारी :-

(ग) शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाॅफ की जानकारी :- (केवल शासकीय/स्वशासी महाविद्यालयों हेतु)

01. प्राचार्य का विवरण :-

(अ) नाम :-

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

(स) जन्म तिथि :-

(द) नियुक्ति तिथि :-

(इ) अध्यापन/प्रशासनिक अनुभव :-

(फ) शिक्षक छात्र अनुपात :-

(दिखे परिशिष्ट -I)

02. अन्य जानकारी :-

(अ) कार्यरत शिक्षकों (नियमित/अतिथि/अन्य) का विषयवार विवरण :-

(सूची संलग्न करें).....

(ब) आवेदित विषय के शिक्षकों का विवरण :-

(सूची संलग्न करें).....

(स) ग्रंथपाल का नाम/योग्यता एवं नियुक्ति तिथि :-

(द) क्रीडा अधिकारी का नाम/योग्यता एवं नियुक्ति तिथि :-

(इ) महाविद्यालय संचालन हेतु नियुक्त अन्य कर्मचारियों का विवरण :-.....

(सूची संलग्न करें)

(घ) केवल अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं हेतु :-

01. संस्थापक संस्था का प्रकार - सहकारी संस्था/कम्पनी/ट्रस्ट/अन्य

02. संस्था का नाम :-

03. स्थापना वर्ष/पंजीयन क्रमांक :-
(पंजीयन पत्र संलग्न करें)
04. पंजीकृत कार्यालय का पता :-
.....
05. वर्तमान अध्यक्ष का नाम :-
(समिति/संस्था के अन्य वैधानिक पदाधिकारियों की सूची संलग्न करें)
06. चल संपत्ति का विवरण :-
07. संस्था के स्वामित्व की अचल संपत्ति का विवरण :-
08. संस्था द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/संस्थाओं की जानकारी :-
.....
09. पिछले तीन वर्षों का कुल वित्तीय टर्न ओवर :-
(अंकेक्षित वार्षिक लेखों की प्रति संलग्न करें)
10. शासन से प्राप्त अनुदान/सहायता राशि का विवरण :-
.....
11. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत वर्तमान में नियुक्त प्राचार्य/शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की जानकारी :-
(अनुलग्नक 01 में भरकर संलग्न करें)
12. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत नियुक्त प्राचार्य/शिक्षकों एवं महाविद्यालय प्रबंधन के मध्य संपादित अनुबंध की जानकारी.....
(अनुबंध की प्रति संलग्न करें)
13. परिनियम क्रमांक 28 के अतिरिक्त वर्तमान में नियुक्त प्राचार्य/शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की जानकारी :-
(अनुलग्नक 02 में भरकर संलग्न करें)
14. शिक्षक छात्र अनुपात :-
(दिखे परिशिष्ट -I)
15. परिनियम क्रमांक 28 के भाग 02 की कंडिका 3(3)(i) एवं(a) (b) (c) एवं (d) अनुसार :-
3 (3)(i) The Foundation Society of every college shall deposit endowment fund for an amount Rs. Ten Lacs (10,00000/-)with the University in the form of fixed deposit receipts in the joint names of the Registrar and the college.
(a) If the college has only one Faculty at the undergraduate level Rs. 1,00,000/-
(b) For every additional faculty at the under graduate level Rs. 30,000/-

(c) for each faculty at the post graduate level Rs. 50,000/-

(d) For P.G. level additional faculty Rs. 40,000/-

उक्तानुसार जमा राशि (एफ.डी.आर.) का विवरण :-

16. महाविद्यालय के शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ के वेतन भत्तों का विवरण :-

(न्यूनतम छः माह के वेतन पत्रकों/बैंक विवरण की छाया प्रति संलग्न करें).....

.....

17. शासीनिकाय की बैठकों की जानकारी :-

(विगत दो वर्षों के कार्यविवरण संलग्न करें)

में..... घोषित करता/करती हूँ कि, निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तुत

समस्त जानकारियाँ सत्य एवं प्रमाणिक है। इस संबंध में रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरीज्ड शपथ पत्र भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नाम :-.....

पद :-.....

नोट :- (1) महाविद्यालय द्वारा सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु संलग्न परिशिष्ट 01में निर्धारित न्यूनतम मापदण्डानुसार बिन्दुओं की पूर्ति की जावे एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मान्यता प्रदान करने वाली Apex Body द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पूर्ति की जावे।

(2) इस निरीक्षण प्रपत्र में स्थान कम होने की स्थिति में महाविद्यालय बिन्दु अनुसार अन्य जानकारी संलग्न कर सकता है।

अशासकीय महाविद्यालय का नाम :-

परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की जानकारी

(सत्र

S.N.	Teacher Name	Designation	Date of Birth	Bank Account No.	Class 12 th 50%	U.G. 50%	P.G. 55%	NET	Ph.D.	Experience	Color Photo	Signature

प्राचार्य के हस्ताक्षर/पदमुद्रा

नोट :- चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा संलग्न करें

अशासकीय महाविद्यालय का नाम :-

परिनियम क्रमांक 28 के अतिरिक्त कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की जानकारी

(सत्र

S.N.	Teacher Name	Designation	Date of Birth	Bank Account No.	Class 12 th 50%	U.G. 50%	P.G. 55%	NET	Ph.D.	Experience	Color Photo	Signature

प्राचार्य के हस्ताक्षर/पदमुद्रा

शपथ पत्र का प्रारूप

(रु. 100/- के स्टाम्प पर नोटराईज्ड कर पूर्ण रूप से भरे गये निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ, निरीक्षण समिति को प्रस्तुत किया जाये)

मैं.....पिता का नामउम्र.....

पता

शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :-

01. मैं शासकीय/स्वशासी.....महाविद्यालय,
..... जिला- के प्राचार्य पद पर पदस्थ हूँ।

मैं अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
की संस्थापक संस्थाका

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य(परिनियम 28 के अन्तर्गत चयनित) हूँ तथा यह शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ।

02. आज दिनांक को बिन्दु क्रमांक 01 में उल्लेखित महाविद्यालय में निरीक्षण के दौरान
मैंने विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति को जो जानकारी निरीक्षण प्रपत्र में उपलब्ध करवाई है
वह पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक है।

03. यदि निरीक्षण समिति को उपलब्ध करवाई गई उक्त जानकारियाँ वर्तमान अथवा भविष्य में असत्य
पाई जाती है तो, विश्वविद्यालय को नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जिसका समस्त
उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संचालक संस्था का होगा। विश्वविद्यालय अथवा निरीक्षण समिति का नहीं।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नाम :-.....

पद :-.....

Minimum norms for affiliation of colleges
(FOR ALL GENERAL COURSES)

1. Requirement of Teaching Faculty in Arts and Social Science (B.A. I year, II year, III year)
 - (a) I year = One Teacher in each subject TSR : 1 : 50
 - (b) II year = One Teacher in each subject
 - (c) III year = One Teacher in each subject

2. Requirement of Teaching Faculty in Science subjects (B.Sc.)
 - (a) I year = Two Teachers in each subject TSR : 1 : 30
 - (b) II year = Two Teachers in each subject
 - (c) III year = Two Teachers in each subject

3. Requirement of Teachers in M.A. /M.Com. TSR : 1 : 20
 - (a) I year = One Teacher in each subject
 - (b) II year = One Teacher in each subject
 - (c) III year = One Teacher in each subject

4. Requirement of Teachers in M.Sc. subjects. TSR : 1 : 15
 - (a) I year = Two Teachers in each subject
 - (b) II year = Two Teachers in each subject
 - (c) III year = Two Teachers in each subject

5. Class Rooms (B.A, B.Sc., B.Com etc.) As per UGC norms
 - (a) I year = One class room each course
 - (b) II year = One class room each course
 - (c) III year = One class room each course

6. Class Rooms (M.A., M.Sc. etc.) As per UGC norms
 - (a) I year = One each subject
 - (b) II year = One each subject

7. Laboratory Requirement (B.Sc.) As per UGC norms
 - (a) I year = One each subject (size 30x20 feet)
 - (b) II year = One each subject (size 30x20 feet)
 - (c) III year = One each subject (size 30x20 feet)

8. Laboratory Requirement (M.Sc.)

As per UGC norms

(a) I year = One each subject (size 30x20 feet)

(b) II year = One each subject (size 30x20 feet)

9. Computer Laboratory = One each in course other than BCA, M.Sc. Computer Science etc.

Student : Computer ratio = 4:1

10. Chemicals Equipments etc. as per syllabus prescribed by the university.

Note : *In courses viz; Education, Management, Nursing etc. where central agency is recognising body in such cases norms issued by central agency will be followed.*